न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 104 / 2024

वादी

स्व रामलाल पुत्र बालुराम जाति कुमावत निवासी गुडकला तहसील सोजत जिला पाली के उतरनाधिकारीगण–

01. रतनलाल पुत्र स्व श्री रामलालल
02. पुखराज पुत्र स्व श्री रामलाल
03. नाथुलाल पुत्र स्व श्री रामलालल
04. स्व प्रेमराज पुत्र रामलाल के उतराधिकारीगण
    - 04 / 01 सुशीला पत्नी स्व. प्रेमराज
    - 04 / 02 मोतीलाल पुत्र स्व. प्रेमराज
    - 04 / 03 हीरालाल पुत्र स्व. प्रेमराज
    - 04 / 04 लक्ष्मणलाल पुत्र स्व. प्रेमराज
    - 04 / 05 कैलाश स्व. प्रेमराज जाति कुमावत निवासीयान गुडकलां तहसील सोजत जिला– पाली।
05. स्व. पिस्ता देवी पुत्री रामलाल पत्नी अमरचन्द के उतराधिकारीगण–
    - 05 / 01 सुरेश
    - 05 / 02 अशोक
    - 05 / 03 मंजु
    - 05 / 04 चंचल पिसरान पिस्ता देवी पुत्री रामलाल जातियान कुमावत निवासीयान गुडाकलां तहसील सोजत
06. स्व पारसमल पुत्र स्व रामलाल के उतराधिकारीगण
    - 06 / 01 लक्ष्मी पत्नी स्व. पारसमल
    - 06 / 02 रणजीत
    - 06 / 03 भावेश
    - 06 / 04 मनीषा पिसरान पारसमल जाति कुमावत निवासीयान गुडाकलां तहसील सोजत
07. स्व. सुन्दरलाल पुत्र स्व. बालुराम के उतराधिकारीगण
    - 07 / 01 उमराव
    - 07 / 02 तारा
    - 07 / 03 आयोध्या
    - 07 / 04 आशा देवी
    - 07 / 05 गीता
    - 07 / 06 किशनलाल
    - 07 / 07 तेजराज पिसरान स्व. सुन्दरलाल निवासीयान गुडाकलां तहसील सोजत

बनाम

प्रतिवादीगण

स्व जसवतसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी गुडकला के कायम मुकाम

01. किस्मत कंवर पुत्री स्व. जसवतसिंह
02. चंचल कंवर पुत्री स्व. जसवंतसिंह
03. दिलखुश कंवर पुत्री स्व.
04. जसवंतसिंह
05. सम कंवर पुत्री स्व. जसवतसिंह
06. संतोष कंवर पुत्री स्व. जसवतसिंह
07. चन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. जसवंतसिंह
08. गुलाव कंवर पुत्री स्व. जसवंतसिंह
09. खशराज कंवर पुत्री पृथ्वीसिंह
10. सूर्यपालसिंह पुत्र पृथ्वीसिह
11. जयश्री कंवर पुत्री भोपालसिंह
12. नन्दकंवर पत्नी भोपालसिंह
    नीतु कंवर पुत्री भोपालसिंह जातियान राजपुत निवासीयान–
13. गुडकलां तहसील सोजत जिला– पाली
    राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि– धारक) सोजत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

उपस्थिति:—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय : दिनांक 07/03/24

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम गुडाकलां तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता नंबर 100 के खसरा नंबर 201, 202, 203, 208, 209, 210/1, 211, 212, 213, 214, 239, 240, 241, 242 कुल खसरा 14 कुल रकबा 72.8700 हैक्टर की भूमि आई हुई स्थित है। जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी की दर्ज सुदा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा नंबर 201 रकबा 0.0687 हैक्टर की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण के नाम विधि विरूद्ध इन्द्राज है। उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा नंबर 201 रकबा 0.0600 हैक्टर की कृषि भूमि को वाद पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादस्थ भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर की भूमि पूर्व के राजस्व रेकर्ड में एकमात्र जसवंतसिंह पुत्र उदयसिंह के नाम दर्जसुदा थी जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज थे। जिन्होने उपरोक्त खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.0600 हैक्टर की कृषि भूमि को वादीगण के पूर्वज रामलाल, सुन्दरलाल पिसरान बालुराम जाति कुमावत निवासी गुड़ाकलां को 500/— रूपए में बेचान कर दिनांक 06.11.1979 को बेचान रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करवा कर बेचान वादीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित किया गया। जो बेचान दस्तावेज पंजीयन सुदा है तथा वादीगण तमाम स्वगीर्य रामलाल, सुन्दरलाल पिसरान बालुराम जाति कुमावत के वैध उतराधिकारी वारिसान है तथा वादस्थ कृषि भूमि को स्वर्गीय रामलाल, सुन्दरलाल ने अपने जीवनकाल में स्वर्गीय जसवंतसिंह से खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.0687 हैक्टर कृषि भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा बेचान पंजीयन भी वादीगण के पूर्वज रामलाल एवं सुन्दरलाल के पक्ष में निष्पादित किया गया। वादीगण के पूर्वज स्व. रामलाल का दिनांक 27.01.1992 को स्वर्गवास हो चुका हैं तथा उनकी पत्नी भंवरी देवी का भी दिनांक 04.11.2009 को स्वर्गवास हो चुका है। जिनके उतराधिकारी वारिसान में पांच पुत्र प्रेमराज, रतनलाल, पुखराज, पारसमल, नाथुलाल हुए तथा एक पुत्री पिस्ता देवी हुई जिसमें से प्रेमराज का दिनांक 28.02.2018 को स्वर्गवास हो चुका है जिनके उतराधिकारी वारिसान वादीगण संख्या 04/01 लगायत 04/05 है। इसी प्रकार पारसमल का भी दिनांक 12.08.2020 को स्वर्गवास हो चुका है। जिनके उतराधिकारी वारिसान वादी संख्या 06/01 लगायत 06/04 है। इसी प्रकार रामलाल की पुत्री पिस्ता देवी का का स्वर्गवास हो चुका है जिसके उतराधिकारी वारिसान 05/01 लगायत 05/04 है इसी प्रकार वादीगण के पूर्वज सुन्दरलाल पुत्र बालुराम का वर्ष 2009 में स्वर्गवास हो चका है तथा उनकी पत्नी सुशीला का भी दिनांक 02.07.2014 को स्वर्गवास हो चुका है। जिनके उतराधिकारी वारिसान वादीगण संख्या 07/01 लगायत 07/07 है तथा वादस्थ भूमि पर वक्त खरीद से रामलाल, सुन्दरलाल का एकमात्र कब्जा काश्त खातेदार हैसियत से चला आया है। उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण तमाम का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिनांक तक बिना किसी बाधा अड़चन के बहैसियत खातेदार चला आया है। उपरोक्त भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

स्वर्गीय रामलाल, सुन्दरलाल के द्वारा जसवंतसिंह से खरीद के पश्चात से बेचान के आधार पर नामान्तरण हेतु संबंधित पटवारी हल्का को बेचान के आधार पर नामांतरण हेतु संबंधित पटवारी हल्का को बेचान, रजिस्ट्री दिनांक 06.11.1979 की प्रति दे दी थी लेकिन संबंधित राजस्व कर्मचारी के द्वारा उपरोक्त बेचान के आधार पर वादीगण के पूर्वज रामलाल, सुंदरलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। चूंकि वादीगण के पूर्वज रामलाल सुन्दरलाल अनपढ निरक्षर थे जिनको राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजात के संबंध में अमल दरामद की कोई जानकारी नहीं थी तथा वादीगण के पिता/पति इसी विश्वास भरोसे में रहे कि संबंधित राजस्व कर्मचारी के द्वारा बेचान के आधार पर खातेदार इन्द्राज कर दिया होगा। चूंकि कब्जा काश्त उपयोग उपभोग स्वर्गीय रामलाल, सुन्द रलाल का ही चला आ रहा था। लेकिन उपरोक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बेचान के आधार पर वादीगण के पूर्वज रामलाल, सुन्दरलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया तथा उनके स्वर्गवास पश्चात भी वादीगण को राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजो की जानकारी नहीं होने एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से राजस्व दस्तावेज की जानकारी के अभाव में उक्त संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सके। जबकि मौके पर आज भी वादीगण के स्वर्गीय रामलाल, सुन्दरलाल के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि पर माफिक बराबर बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। स्वर्गीय जसवंतसिंह के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.0687 हैक्टर भूमि को वादीगण के पूर्वज को बेचान कर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है जिसमें कभी भी प्रतिवादीगण कोई उज्र एतराज नहीं किया है । इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां के खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.0600 कृषि भूमि के संबंध में वादीगण स्व. रामलाल, सुन्दरलाल के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 06.11.1979 के आधार पर व वादीगण स्वर्गीय रामलाल, सुन्दरलाल के वैध उतराधिकारी वारिसान होने से खसरा नंबर 201 रकबा 0.0687 हैक्टर में से प्रतिवादीगण का नाम हटवा कर 0.0600 हैक्टर भूमि में वादीगण संख्या 01 लगायत 06 का 01/02 हक हिस्से व इसी प्रकार वादीगण संख्या 07/01 लगायत 07/07 का 01/02 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने की ईश्तदुआ की है।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 18.10.2023 को किया गया। पत्रावली 07.03.2024 को शहादत वादी में रखी गई। अधिवक्ता वादी दस्तावेजी साक्ष्य से वाद साबित होने से शहादत वादी पेश नही करना चाहने से दिनांक 07.03.2024 को शहादत वादी बन्द की गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात बेचान रजिस्ट्री दिनांक 06.11.1979 की फोटोप्रति, भंवरी देवी, सुशीबाई, प्रेमराज, सुन्दरलाल, पारसमल, रामलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति ग्राम गुड़ाकलां के खाता संख्या 100 व पुराने खाता संख्या 92 की जमाबंदी की प्रति, प्रमाणित प्रति ग्राम गुड़ाकलां के खाता संख्या 93 की संवत् 2059 से 2062 तक की जमाबंदी की प्रति, प्रमाणित प्रति ग्राम गुड़ा कलां के खाता संख्या 98 की संवत् 2051 से 2054 तक की जमाबी की प्रति, प्रमाणित प्रति ग्राम गुड़ाकलां के खाता संख्या 93 की संवत् 2046 से 2050 की जमाबंदी की प्रति, प्रमाणित प्.ति ग्राम गुड़ाकलां के खाता संख्या 92 की संवत् 2071 से 2074 की जमाबंदी प्रति, प्रमाणित प्रति ग्राम गुड़ाकलां के खाता नम्बर 93 की संवत् 2055 से 2058 तक जमाबंदी की प्रति, प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रति गाम गुड़ा कलां के खाता संख्या 89 की संवत् 2063 से 2066 की जमाबंदी की प्रति, प्रमाणित प्रति ग्रम गुड़ाकलां के खाता नम्बर 89 की संवत् 2067 से 2070 की जमाबंदी की प्रतियां पेश की है।

प्रतिवादी गण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सूनी गई।

बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां के खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.0600 कृषि भूमि के संबंध में वादीगण स्व. रामलाल, सुन्दरलाल के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 06.11.1979 के आधार पर व वादीगण स्वर्गीय रामलाल, सुन्दरलाल के वैध उतराधिकारी वारिसान होने से खसरा नंबर 201 रकबा 0.0687 हैक्टर में से प्रतिवादीगण का नाम हटवा कर 0.0600 हैक्टर भूमि में वादीगण संख्या 01 लगायत 06 का 01/02 हक हिस्से व इसी प्रकार वादीगण संख्या 07/01 लगायत 07/07 का 01/02 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत ने भी स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात तथा गवाह के बयानों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां के खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.0600 कृषि भूमि के संबंध में जसवन्तसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी गुडाकंला तहसील सोजत द्वारा निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 06.11.1979 से वादग्रस्थ भूमि का बेचान वादीगण वादीगण स्व. रामलाल, सुन्दरलाल के पक्ष में होना स्पष्ट होता है। किन्तु उक्त बेचान पर भी वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया गया जिससे वादीगण रकबा 0.0600 हैक्टर के खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। लिहाजा वादीगण स्वर्गीय रामलाल, सुन्दरलाल के वैध उतराधिकारी वारिसान होने से खसरा नंबर 201 रकबा 0.0687 हैक्टर में से प्रतिवादीगण का नाम हटवा कर 0.0600 हैक्टर भूमि में वादीगण संख्या 01 लगायत 06 का 01/02 हक हिस्से व इसी प्रकार वादीगण संख्या 07/01 लगायत 07/07 का 01/02 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां के खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.0600 कृषि भूमि के संबंध में वादीगण स्व. रामलाल, सुन्दरलाल के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 06.11.1979 के आधार पर व वादीगण स्वर्गीय रामलाल, सुन्दरलाल के वैध उतराधिकारी वारिसान होने से खसरा नंबर 201 रकबा 0.0687 हैक्टर में से प्रतिवादीगण का नाम हटवा कर 0.0600 हैक्टर भूमि में वादीगण संख्या 01 लगायत 06 का 01/02 हक हिस्से व इसी प्रकार वादीगण संख्या 07/01

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

लगायत 07 / 07 का 01 / 02 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 07/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6--7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादी

स्व. रामलाल पुत्र बालुराम जाति कुमावत निवासी गुडकलां तहसील सोजत जिला पाली के उतरनाधिकारीगण–

01. रतनलाल पुत्र स्व श्री रामलालल
02. पुखराज पुत्र स्व श्री रामलाल
03. नाथुलाल पुत्र स्व श्री रामलालल
04. स्व. प्रेमराज पुत्र रामलाल के उताराधिकारीगण
    04/01 सुशीला पत्नी स्व. प्रेमराज
    04/02 मोतीलाल पुत्र स्व. प्रेमराज
    04/03 हीरालाल पुत्र स्व. प्रेमराज
    04/04 लक्ष्मणलाल पुत्र स्व. प्रेमराज
    04/05 कैलाश स्व. प्रेमराज जाति कुमावत निवासीयान गुड़कलां तहसील सोजत जिला– पाली।
05. स्व. पिस्ता देवी पुत्री रामलाल पत्नी अमरचन्द के उताराधिकारीगण--
    05/01 सुरेश
    05/02 अशोक
    05/03 मंजु
    05/04 चंचल पिसरान पिस्ता देवी पुत्री रामलाल जातियान कुमावत निवासीयान गुड़ाकलां तहसील सोजत
06. स्व पारसमल पुत्र स्व रामलाल के उताराधिकारीगण
    06/01 लक्ष्मी पत्नी स्व. पारसमल
    06/02 रणजीत
    06/03 भावेश
    06/04 मनीषा पिसरान पारसमल जाति कुमावत निवासीयान गुड़ाकलां तहसील सोजत
07. स्व. सुन्दरलाल पुत्र स्व. बालुराम के उताराधिकारीगण
    07/01 उमराव
    07/02 तारा
    07/03 आयोध्या
    07/04 आशा देवी
    07/05 गीता
    07/06 किशनलाल
    07/07 तेजराज पिसरान स्व. सुन्दरलाल निवासीयान गुड़ाकलां तहसील सोजत

प्रतिवादीगण

स्व. जसवंतसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी गुडकलां के कायम मुकाम

01. किस्मत कंवर पुत्री स्व. जसवंतसिंह
02. चंचल कंवर पुत्री स्व. जसवंतसिंह
03. दिलखुश कंवर पुत्री स्व. जसवंतसिंह
04. सम कंवर पुत्री स्व. जसवंतसिंह
05. संतोष कंवर पुत्री स्व. जसवंतसिंह
06. चन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. जसवंतसिंह
07. गुलाव कंवर पुत्री स्व. जसवंतसिंह
08. खशराज कंवर पुत्री पृथ्वीसिह
09. सूर्यपालसिंह पुत्र पृथ्वीसिह
10. जयश्री कंवर पुत्री भोपालसिंह
11. नन्दकंवर पत्नी भोपालसिंह
12. नीतु कंवर पुत्री भोपालसिंह जातियान राजपुत निवासीयान– गुड़कलां तहसील सोजत जिला– पाली
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि– धारक) सोजत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

राजस्व वाद संख्या :– 104 / 2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी कैलाश दवे तथा तहसीलदार सोजत प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां के खसरा नंबर 201 रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.0600 कृषि भूमि के संबंध में वादीगण स्व. रामलाल, सुन्दरलाल के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 06.11.1979 के आधार पर व वादीगण स्वर्गीय रामलाल, सुन्दरलाल के वैध उतराधिकारी वारिसान होने से खसरा नंबर 201 रकबा 0.0687 हैक्टर में से प्रतिवादीगण का नाम हटवा कर 0.0600 हैक्टर भूमि में वादीगण संख्या 01 लगायत 06 का 01 / 02 हक हिस्से व इसी प्रकार वादीगण संख्या 07 / 01 लगायत 07 / 07 का 01 / 02 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाबता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 7/3/24...... को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.